



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ, 1942 (श०)

संख्या-89 राँची, मंगलवार,

2 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

21 जनवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-23/2014-697 (HRMS)--श्री अरुण वाल्टर सांगा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-642/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी, दिनारा, रोहतास के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक-645, दिनांक 27.04.2006 द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया, जिसे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7426, दिनांक 29.07.2006 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-4358, दिनांक 17.08.2007 द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक-645 दिनांक 27.04.2006 की स्पष्ट प्रति एवं श्री सांगा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया। जिला पदाधिकारी रोहतास, (सासाराम) के पत्रांक-237/स्थापना दिनांक 18.02.2014 द्वारा श्री सांगा के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया, जिसमें श्री सांगा के विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किया गया है-

"आपके पत्र सं0-17/गो0, दिनांक 12.10.1999 से सूचित किया गया कि दिनांक 08.10.1999 की रात्रि में दिनारा अंचल कार्यालय के एक कमरे में चोरी हो गई, जिसके संबंध में आप के द्वारा दिनारा

थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई, जिस पर दिनारा थाना कांड सं0-147/99 अंतर्गत धारा-457, 380, 407, 44 एवं 120बी0 भा0द0वि0 दर्ज हुआ, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त चोरी की घटना में दिनांक 28.08.1999 को बैंक से निकासी की गई राशि 2,20,000.00, वेतन की राशि 1,55,574.00 एवं आपके वेतन तथा बकाया वेतन 53,171.00 ₹0 था।

आपके द्वारा दिनांक 28.09.1999 को 2,20,000.00 ₹0 बैंक से निकासी कर सहाय्य मद में जिला कोषागार में जमा करने हेतु चालान पास किया गया, परन्तु चालान जमा करने संबंधी जाँच पड़ताल आपके द्वारा अंचल नाजीर श्री ओंकार नाथ तिवारी से नहीं किया गया। साथ ही, प्रधान सहायक एवं नाजीर एक ही व्यक्ति कार्यरत थे। आप कार्यालय प्रधान थे तथा आपके द्वारा रोकड़ बही के मामले में सजग नहीं रहना लापरवाही का द्योतक है, जिसके लिये आप दोषी हैं। आपके द्वारा इस संबंध में दी गई सूचना ज्ञापांक-17/गो0 दिनांक 12.10.1999 में भी अपनी इस लापरवाही को स्वीकार किया है।"

श्री सांगा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-2917 दिनांक 24.03.2014 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री सांगा ने अपने पत्र दिनांक 08.09.2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सांगा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि दिनांक 08.10.1999 की रात्रि में दिनारा अंचल कार्यालय के नजारत में चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में उनके द्वारा दिनारा थाना में प्राथमिकी सं0-147/99 दर्ज करवायी गई। उक्त चोरी की घटना में दिनांक 28.08.1999 को भारतीय स्टेट बैंक से निकासी की गई सहाय्य मद की राशि 2,20,000/- ₹0 तथा अंचल कर्मियों एवं उनके वेतन की राशि 1,55,574/- ₹0 शामिल थे। दिनांक 28.08.1999 को उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक से सहाय्य मद अंतर्गत कृषि इनपुट की राशि 2,20,000/- ₹0 की निकासी कर सरकारी खजाने में जमा करने हेतु कोषागार चालान पास कर जिला कोषागार में जमा करने हेतु नाजिर को निर्देश दिया गया था, किन्तु उक्त राशि नाजिर द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए जिला कोषागार में जमा नहीं किया गया। उनके द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि चोरी की घटना के पूर्व लोकसभा निर्वाचन, 1999 में व्यस्त रहने एवं अंचल अधिकारी, दिनारा अंचल के साथ-साथ अंचल अधिकारी-सह-चकबन्दी पदाधिकारी, दावथ एवं समेकित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा प्रखंड के अतिरिक्त प्रभार में रहने के कारण वे रोकड़ बही की जाँच एवं सत्यापन कुछ दिनों से नहीं कर पाये।

श्री सांगा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-9452, दिनांक 19.09.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) से मंतव्य की माँग की गई एवं इसके लिए कई स्मार पत्र निर्गत किये गये, किन्तु जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) से मंतव्य अप्राप्त रहा।

श्री सांगा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 28.08.1999 को भारतीय स्टेट बैंक से निकासी की गई 2,20,000/- ₹0 की राशि को सहाय्य मद में जिला कोषागार में जमा करने हेतु चालान पास करने के बावजूद एक लम्बी अवधि अर्थात् दिनांक 08.10.1999 तक उक्त राशि नाजिर द्वारा अपने पास सिंगल लॉक में रखने के लिए तत्कालीन नाजिर के साथ-साथ कार्यालय प्रधान होने के नाते श्री सांगा भी सीधे रूप से जिम्मेवार प्रतीत होते हैं। यदि श्री सांगा द्वारा रोकड़ बही की जाँच/सत्यापन कार्य नियमानुसार किया जाता तो 2,20,000/- ₹0 की राशि की चोरी होने की संभावना नहीं बनती।

श्री सांगा के विरुद्ध आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-7(hrms), दिनांक 02.01.2020 द्वारा श्री सांगा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री सांगा द्वारा माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-306/रा0स0, दिनांक 06.02.2020 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री सांगा द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(क) इनके द्वारा कहा गया कि यह अधिरोपित दण्ड न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा उन्हें पुनः अवसर प्रदान नहीं किया गया, जिससे ये अपने बचाव में पूरक जवाब समर्पित कर सकें।

(ख) दण्ड अधिरोपित करने की प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया गया है। दिनांक 18.09.2014 को समर्पित स्पष्टीकरण को वर्ष, 2019 में किस आधार पर अस्वीकृत किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही, दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व उनसे द्वितीय कारण पृच्छा नहीं की गई है, जो नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है।

श्री सांगा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गई एवं श्री सांगा को दिनांक 25.11.2020 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। श्री सांगा द्वारा बताया गया कि दिनांक 08.10.1999 को रात्रि में दिनारा अंचल कार्यालय में चोरी की घटना में 1,55,574/- ₹0 वेतन की राशि एवं दिनांक 28.08.1999 को सहाय्य मद की जिला कोषागार में जमा करने हेतु बैंक से निकासी की गई 2,20,000/- ₹0 की राशि चोरी हो गई थी। उक्त वेतन की 1,55,574/- ₹0 में से उनके स्वयं का 53,171/- (वेतन एवं बकाया वेतन) ₹0 की राशि भी शामिल थी। श्री सांगा द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 28.08.1999 को ही स्टेट बैंक से सहाय्य कार्य मद अंतर्गत कृषि इनपुट की राशि 2,20,000/- रुपये सरकारी खजाने में जमा करने हेतु कोषागार चालान भरकर उनके द्वारा नाजिर को निर्देश दिया गया था। लोकसभा निर्वाचन, 1999 के दौरान उनकी प्रतिनियुक्ति वाहन कोषांग प्रभारी के रूप में बिक्रमगंज में थी एवं निर्वाचन कार्य में व्यस्तता रहने के कारण वे रोकड़बही की जाँच एवं सत्यापन का कार्य ससमय नहीं कर पाये। निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने एवं मोबाईल सेवा उपलब्ध नहीं रहने के कारण वे नाजिर द्वारा राशि जमा करने के संबंध में जानकारी भी प्राप्त नहीं कर पाये।

समीक्षोपरांत पाया गया कि लोकसभा निर्वाचन, 1999 में दिनांक 05.09.1999 से 03.10.1999 की अवधि में विभिन्न चरणों में मतदान कार्य संपन्न किया गया था। लोकसभा निर्वाचन, 1999 से संबंधित विभिन्न कार्यो यथा मतदान केन्द्रों का भ्रमण, शास्त्रों का सत्यापन, चुनाव संबंधी बैठकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में श्री सांगा की अति व्यस्तता थी एवं वाहन कोषांग प्रभारी के रूप में निर्धारित कार्यस्थल अनुमंडल बिक्रमगंज में लगातार उनका आना जाना था तथा ये अंचल अधिकारी, दिनारा के साथ-साथ अन्य पदों के प्रभार में थे, जिसके कारण इन पर अत्यधिक कार्यबोझ थी तथा निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण बैंक से निकासी की गई राशि को नाजिर द्वारा जमा/नहीं जमा करने संबंधी कार्य को श्री सांगा द्वारा Supervise नहीं किया गया, जो कि Supervisory lapse है। उनके कथन से यह भी प्रतीत हुआ कि उनके द्वारा जानबूझकर इस मामले में लापरवाही नहीं बरती गई है।

अतः समीक्षोपरांत श्री सांगा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन स्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-7(hrms), दिनांक 02.01.2020 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक संबंधी अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए उन्हें इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ARUN WALTER SANGA BHR/BAS/2995	श्री अरुण वाल्टर सांगा, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-642/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी, दिनारा, रोहतास के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-7(hrms), दिनांक 02.01.2020 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक संबंधी अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए उन्हें इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अरुण वाल्टर सांगा, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
